



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (पंचम संशोधन) विनियम, 2016 के सम्बन्ध में जन-सुनवाई

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) सपटित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (पंचम संशोधन) विनियम, 2016 जारी किया गया है। उक्त प्रारूप विनियम पर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 14.03.2016 थी।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 05.04.2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव